



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1942 (श०)

(सं० पटना 545) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2020

एस० ओ० 163 दिनांक 9 सितम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या, एस० ओ० 212 दिनांक 08 मई, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 598, दिनांक 08 मई, 2019, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, “अगस्त 2020 के 31वें दिन” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अक्टूबर 2020 के 31वें दिन” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1626)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 सितम्बर 2020

एस० ओ० 163 दिनांक 9 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1626)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 9th September 2020

S.O. 163, Dated 9th September 2020— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 212, dated the 8th May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598, dated the 8th May, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, in the first proviso, for the figures,letters and words “31stday of August, 2020”, the figures,letters and words “31st day of October, 2020” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1626]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 545-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>